1414 7796

Pu

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2023/151

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
88-188 वाद-पत्र	22/23	26/5/23	निर्णय 23/1/25	7/9/24 ~~30/10/24~~ 11/9/24 25/9/24 10/10/24 5/11/24 13/11/24 27/11/24 19/12/24 2/1/25 8/1/25 28/1/2[illegible]

अनवान

श्री सेवा उर्फ शिवलाल

निवासी बिजौलियां खुर्द

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री जगदीश चन्द धाकड़

श्री लालु धाकड़

निवासी बिजौलिया खुर्द

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ (No 9m)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

...िया उर्फ शिवलाल बनाम ... बालु धाकड़

...त्र मुकदमा 88-188 PT/24 नम्बर 22 सन...

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
...2023	वादपत्र पत्र सीधे से वाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 15/6/2023 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
.../23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या (1,2,3,4) की ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने ... की। पत्रावली वास्ते अधिकार पत्र दिनांक 03/08/23 को पेश हो।	...
.../23	पत्रावली पेश हुई। ...क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 31/8/23 को वास्ते अ. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
.../2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 12/10/23 को वास्ते अ. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
...0/23	...पेश हुई। अभिभावक वादी/...दी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्र...ली दिनांक 23/11/23 को वास्ते अ. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
...11/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11/1/24 को वास्ते अ. पत्र पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

/1/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् ... दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 15/2/24 को वास्ते आ.प. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/2/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 14/3/24 को वास्ते अ. पत्र पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/3/24 पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण की ओर से मुकेश व्यास ने अधिकार पत्र पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आगामी दिनांक 28/3/24 को पेश हो

/3/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 9/5/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 9/5/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/5/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 6/6/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/ पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 27/6/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली
दिनांक 18/7/24 को वास्ते जवाब पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

/24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दि 4/9/24 को पेश हो।

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ______________________ मुकाम ______________________

______________________ बनाम ______________________

मुकदमा ______________________ नं. ______________________ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]२४	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दिनांक 11/9/24 को पेश हो। [initials]	
[illegible]।२४	पत्रावली पेश हुई विपक्षी अधिवक्ता ने No Instruction किया एवं पत्रावली में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते, जिसे स्वीकार किया गया। समस्त विपक्षीगण को एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 25/9/24 को पेश हो। [initials]	No Instr[illegible] [illegible]
[illegible]।9।२४	पत्रावली पेश हुई वादी की तरफ से वादी स्वयं एवं नायाबतान के बयान लेखबद्ध किए गए। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 10/10/24 को पेश हो। [initials]	शिवल[illegible]
[illegible]24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] उ0. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5-11-24 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	नानाप[illegible]
[illegible]।२४	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 13/11/24 को पेश हो। [initials]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 27/11/24 को पेश हो।
27/11/24	पत्रावली पेश [illegible] अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित [illegible] पर है। [illegible] दिनांक 13/12/24 [illegible] निर्णय हो। उपखण्ड अधिकारी
13/12/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 02/01/25 को पेश हो।
2/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमा[illegible] [illegible]रे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 08/1/25 निर्णय पेश हो। [illegible] अधिकारी
8/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/01/25 को पेश हो।
23/01/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। विस्तृत पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः—22 / 2023 दायर तारीख :— 26.05.2023

अनवान

01 सेवा उर्फ शिवलाल पिता हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

............वादी

बनाम

01. लालू पिता मोती जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
02. लीला पिता मोती पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द हाल मुकाम सदराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
03. सुतित्रा पिता मोती पत्नि शिशुपाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द हाल मुकाम थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
04. धापूबाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
05. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :— 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ — अधिवक्ता वादी
02. एक पक्षीय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक 23 / 01 / 2025

वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 रा. टि. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। बाद जांच सीगे की रिपोर्ट से वादपत्र दर्ज योग्य होने वादपत्र नियमित राजस्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गयी।

वादपत्र के अभिवचन अनुसार एवं पारिवारिक सजरा के अनुसार केशा के दो पुत्र खेमा, हीरा थे। खेमा पिता केशा अविवाहित फौत हुआ एवं हीरा के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पिता एव प्रतिवादी संख्या 4 का पति मोती था। हीरा व खेमा के जीवनकाल में मोती पिता हीरा को खेमा जी के जाति रश्म रिवाज अनुसार गोद रखा गया। और मोती जी जीवन पर्यनत खेमा जी के गोदपुत्र के रूप में रह कर उनकी समस्त आराजीयात पर काबिज हुये। खेमा की मृत्यु के बाद विरासत से उनकी समस्त जायदाद गोदपुत्र के रूप में मोती के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी। इसी प्रकार हीरा पिता केशा जी की जायदाद पर उनके एकमात्र पुत्र वादी काबिज हो उपयोग उपभोग करते हुये आ रहा हैं। परम्परा व जाति रश्म रिवाज अनुसार खेमा जी मृत्यु उपरान्त उनका सभी अन्तिम संस्कार व विरासत की परम्परा मोती जी ने और हीरा की मृत्यु के बाद उनके एक मात्र पुत्र वादी ने हीरा के अन्तिम संस्कार व अन्य विरासत के कार्यक्रम किये। मोती मुत्तबना खेमा का हीरा पिता केशा की जायदाद में कोई हक व आधिपत्य नही रहा। मोती के सभी स्वामित्व के अधिकार गोदपुत्र के आधार पर अपने पिता हीरा से हटकर गोद पिता खेमा की जायदाद में निहीत हो गये।

मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 1008, 1263, 437/1, 441/1, 559, 976/1 कुल किता 6 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा भूमि व आराजी नम्बर 1199/1, व 1208 कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वां भूमि जो खेमा पिता केशा की आराजीयात थी। मोती मु0 खेमा व मोती पिता खेमा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुयी तथा गोद पुत्र के रूप में मोती व उनके बाद प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 काबिज हो उपयोग

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपभोग कर रहे हैं। खेमा पिता केशा की जायदाद में वादी का कभी हिस्सा व कब्जा नहीं रहा इसी र हीरा पिता केशा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1264, 437मि, 441, 558, 976मि, 996, 997 कुल किता कबा 17 बीघा 03 बिस्वां भूमि जो हीराजी की मृत्यु के बाद अकेले वादी के नाम दर्ज हुयी इसमें प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति मोती का कब्जा स्वामित्व नहीं रहा हैं। अकेला वादी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हैं। राजस्व रेकॉर्ड में उक्त अंकन को कभी भी वादी या प्रतिवादी के मोती द्वारा चुनोती नहीं दी गयी बल्कि स्वीकार कर इसी अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द की गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 1258 व 1265/1695 हीरा वल्द केशा ड की आराजीयात थी। जो हीरा के बाद वादपत्र की कलम संख्या 4 में अन्य आराजीयात के साथ अकेले के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। किन्तु विरासत से हीरा की बजाय वादी व प्रतिवादीसंख्या 1 लगायत 3 पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति मोती के नाम सेवन (त्रुटिवश) दर्ज हो गयी थीं। जो भू-प्रबन्ध के ान भू-प्रबन्ध विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज रेकॉर्ड कर दी। जिसके वर्तमान बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 5 रकबा 0.1781 हैक्टेयर (1 बीघा 02 बिस्वां) व आराजी नम्बर 1217 रकबा 0.0162 हैक्टेयर (02 बिस्वां) किता 2 रकबा 0.1943 है0 (1 बीघा 04 बिस्वां) दर्ज होकर वादी के नाम 1/2 व मोती के नाम 1/2 से में दर्ज रेकॉर्ड कर दी गयी। सुविधा की दृष्टि से इसे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के रूप में सम्बोधित या जायेगा।

वादी ने अन्त में अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.1781 क्टेयर (1 बीघा 02 बिस्वां) व आराजी नम्बर 1217 रकबा 0.0162 हैक्टेयर (02 बिस्वां) कुल किता 2 रकबा 1943 है0 (1 बीघा 04 बिस्वां) भूमि जो वादी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजीयात हैं राजस्व कॉर्ड में मोती पिता हीरा (या उनके वारीसान) का नाम हटाया जाकर अकेले वादी के ऐकल स्वामित्व की राजी के रूप में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड की जावें। तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक दी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें। तथा उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके स्से पर काश्त करने से नहीं रोकने, भूमि का अन्तरण नहीं करने व राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करने करवाने हेतु **स्थाई निषेधाज्ञा** से पाबन्द फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र ज करवाई गयी।

वादपत्र में दिनांक 15.06.2023 को प्रतिवादी नं0 1 से लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ुकेश कुमार धाकड़ ने अन्डर टेकिंग ली तथा दिनांक 11.09.2024 को पुनः No Instruction किया गया।

प्रकरण में तनकीयात कायम नही की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी में प्रकरण रखा गया।

वादीगण ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये।

वर्तमान जमाबन्दी ग्राम बिजौलियां खुर्द, संवत् 2075-78 जो प्रदर्श - 1 हैं।, जमाबन्दी संवत् 2075-78 जो प्रदर्श - 2 हैं।, जमाबन्दी संवत् 2031-34 जो प्रदर्श - 3 हैं।, नामान्तरण संख्या 134 जो प्रदर्श - 4 हैं।, जमाबन्दी संवत् 2038-41 जो प्रदर्श - 5 हैं।, जमाबन्दी संवत् 2038-41 जो प्रदर्श - 5 हैं।, जमाबन्दी संवत् 2038-41 जो प्रदर्श - 6 हैं।, जमाबन्दी संवत् 2028-31 जो प्रदर्श - 7 हैं।, मिलान खसरा पेश किया जो प्रदर्श - 8-9 हैं।

वकील वादी ने शहादत वादी मे PW-1 शिवलाल उर्फ सेवा पिता हीरालाल धाकड़ नि0 बिजौलियां खुर्द, PW-2 नानालाल पिता सेवा धाकड़ नि0 बिजौलियां खुर्द के बयान कराये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादी द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कियें। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने पक्ष में दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया। विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

खण्ड अधिकारी ... जिला-भीलवाड़ा

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा ताया कि मोती के सभी स्वामित्व के अधिकार गोदपुत्र के आधार पर अपने पिता हीरा से हटकर गोद पिता मा की जायदाद में निहीत होने से मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.1781 क्टेयर (1 बीघा 02 बिस्वां) व आराजी नम्बर 1217 रकबा 0.0162 हैक्टेयर (02 बिस्वां) कुल किता 2 रकबा 1943 है0 (1 बीघा 04 बिस्वां) भूमि से मोती पिता हीरा (या उनके वारीसान) का नाम हटाया जाकर अकेले दी के ऐकल स्वामित्व की आराजी के रूप में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन कया। उक्त वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य हैं।

—:: आदेश ::—.

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अर्न्तगत धारा **88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी रुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.1781 क्टेयर (1 बीघा 02 बिस्वां) व आराजी नम्बर 1217 रकबा 0.0162 हैक्टेयर (02 बिस्वां) कुल किता 2 रकबा 1943 है0 (1 बीघा 04 बिस्वां) भूमि से मोती पिता हीरा (या उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4) का नाम हटाया जाकर वादी सेवा उर्फ शिवलाल पिता हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कया जाता हैं कि वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 23/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। त्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

जस्व प्रकरण संख्याः—22/2023 दायर तारीख :— 26.05.2023

अनवान

1. सेवा उर्फ शिवलाल पिता हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

02. .... डिक्रीदार

बनाम

1. लालू पिता मोती जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
2. लीला पिता मोती पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द हाल मुकाम सदराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
3. सुतित्रा पिता मोती पत्नि शिशुपाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द हाल मुकाम थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
4. धापूबाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...... मदयूनान

वादी अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 23/01 /2025

डिक्री दिनांक : 23/01 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ ाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड को एक पक्षीय हुकम दिया जाता हैं कि वादपत्र वादी त्तर्गत **धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 प्र0स0 22/2023 में मौजा ग्राम बिजौलियां र्द की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.1781 हैक्टेयर (1 बीघा 02 बिस्वां) व आराजी नम्बर 1217 रकबा 0. 62 हैक्टेयर (02 बिस्वां) कुल किता 2 रकबा 0.1943 है0 (1 बीघा 04 बिस्वां) भूमि से मोती पिता हीरा (या नके वारीसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04) का नाम हटाया जाकर वादी सेवा उर्फ शिवलाल पिता हीरा ति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। साथ ही तिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण खलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। डिक्री मूर्तिब हों। प्रतिवादी नं. 5 को तहरीर जारी होकर र्णय की पालना में वादग्रस्त जायदाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख की जावे। पक्षकार खर्चा अपना पना वहन करें। डिक्री मुर्तिब हों।

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ...... र्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से रीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह ..... वर्ष 2025 को ारी किया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा